UPVR010065162022

Presented on : 01-06-2022
Registered on : 06-06-2022
Decided on : 01-06-2026
Duration : 4 years, 0 months, 0 days

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Criminal Revision/230/2022

1. यशवंत सिंह पुत्र शिवनारायण सिंह डायरेक्टर एम०/एस० ओ०एम०के० इन्टेग्रल एण्ड कन्ट्रक्शन प्रा०लि० रजिस्टर्ड ऑफिस आराजी नं०-121 भक्ति नगर गेट नं०-2 थाना-लालपुर, जिला-वाराणसी।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2-जे०एस०आई०डब्ल्यू० इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा० लि० रजिस्टर्ड ऑफिस 04 ए०एस०एस० मित्रे ईस्टेट नियर वैडियल फैक्ट्री, दूधेश्वर रोड, अहमदाबाद।
3-अशोक पटेल प्रोजेक्ट मैनेजर जे०एस०आई०डब्ल्यू०
4-शैलेश राय पुत्र धीरेन्द्र राय,
निवासी-वार्ड नम्बर-21 अशोक नगर जनपद राबर्ट्सगंज।

.....विपक्षी।

निगरानी अन्तर्गत धारा-397 दं०प्र०सं०
सम्बन्धित परिवाद सं.-2529/2021
सम्बन्धित आदेश दिनांकित-27.04.2022

निर्णय

1. निगरानीकर्ता की ओर से यह दाण्डिक निगरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-397 के अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-2529/2021, यशवंत सिंह बनाम जे०एस०आई०डब्ल्यू० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में पारित आदेश दिनांकित-27.04.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानी कागज संख्या-3क मय शपथपत्र 6ख के आधार इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए आदेश पारित किया है। निगराकर्ता की कम्पनी का करार गैस पाइप लाइन तीस किलोमीटर बिछाने हेतु विपक्षी

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.05.31 12:26:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या-2 के बीच करार दिनांक-13.01.2020 को हुआ था। विपक्षी ने केवल दस किलोमीटर तक का कार्य किया, शेष कार्य किसी अन्य कम्पनी से करवा लिया और उसने दो करोड़ अट्ठारह लाख तिरेपन हजार का भुगतान कम्पनी को नहीं किया। विपक्षी संख्या-3 व 4 से मिलकर काम करने का करार किया था। विपक्षी संख्या-3 ने निगरानीकर्ता से पाँच लाख रुपये केस लिया था। विपक्षी संख्या-2,3 व 4 ने मिलकर निगराकर्ता की सम्पत्ति हड़प ली, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय ने अनदेखा करके आदेश पारित किया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार की जावे।

3. निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में-

1. विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित-27.04.2022 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 4-ख, प्रस्तुत किया गया है।

4. निगरानीकर्ता को बार-बार अवसर देने पर न तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया और न ही बहस की गयी।

5. इस न्यायालय द्वारा विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार निगरानी न्यायालय द्वारा निगरानी मामले में केवल विधिक बिन्दुओं को देखा जाना होता है। प्रस्तुत मामले में मात्र यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की गयी है अथवा नही?

7. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में कथन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित-27.04.2022 को पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है व तथ्यों का अनदेखा किया है। निगराकर्ता की कम्पनी का करार गैस पाइप लाइन तीस किलोमीटर बिछाने हेतु विपक्षी संख्या-2 के बीच करार दिनांक-13.01.2020 को हुआ था। विपक्षी ने केवल दस किलोमीटर तक का कार्य किया, शेष कार्य किसी अन्य कम्पनी से करवा लिया और उसने दो करोड़ अट्ठारह लाख तिरेपन हजार का भुगतान कम्पनी को नहीं किया। विपक्षी संख्या-3 व 4 से मिलकर काम करने का करार किया था। विपक्षी संख्या-3 ने निगरानीकर्ता से पाँच लाख रुपये केस लिया था। विपक्षी संख्या-2,3 व 4 ने मिलकर निगराकर्ता की सम्पत्ति हड़प ली, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय ने अनदेखा करके आदेश पारित किया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह अवधारित किया है कि परिवादी की कम्पनी का विपक्षी की कम्पनी के साथ तीस किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य हुआ, लेकिन करार के पश्चात् मात्र दस किमी कार्य किया गया और दस किमी कार्य के एवज में बकाया धनराशि का भुगतान परिवादी की कम्पनी को नहीं किया गया। परिवादपत्र के आधार पर मामला सिविल प्रकृति को आपराधिक रंग देने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० के तहत निरस्त कर दिया।

9. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर, (2012) 9 एस0सी0सी0 460 (पैरा 12, 13, 18 एवं 20)** में मत व्यक्त किया है कि निगरानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश घोर त्रुटिपूर्ण हो या विधिक प्राविधानों का अनुपालन न किया गया हो या विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य से परे हो या अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षपातपूर्ण व अनौचित्यपूर्ण रूप से किया गया हो।

11. इसी प्रकार से **स्टेट फर्म कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बनाम निज्जर एग्रो फूड्स लिमिटेड, (2005) 12 एस0सी0सी0 506** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था स्थापित की है कि निगरानी न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नही है कि वह अवर न्यायालय के निष्कर्षो को निरस्त कर अपना निष्कर्ष दे। धारा 397 से 401 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को सीमित अधिकार है और निगरानी न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नही कर सकती।

12. उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के गम्भीरतापूर्वक अवलोकन से इस निगरानी न्यायालय की राय में विद्वान विचारण न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सजगतापूर्ण व सम्यक परिशीलन विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतो के प्रकाश आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित-27.04.2022 विधि सम्मत है। अतः यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-230/2022 यशवंत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य आदि निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायलय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित-27.04.2022 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति मय विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अनुपालनार्थ विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब भेजी जावे तथा इस दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-01.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-01.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

steno-Reena